RAJYA SABHA

Friday, the 10th August, 1990 19 Sravana, 1912 (Saka)

The House met at eleven of the clock, The Deputy Chairman in the Chair

OBITUARY REFERENCE

THE DEPUTY CHAIRMAN : Before we take up today's agenda, I refer with profound sorrow to the passing away of Shri K. Chathunni Master, a former Member of this House, today morning at Calicut.

Shri Chathunni Master was born in 1921 at village Kannankara, District Calicut, in Kerala. He had his education at Calicut and joined the C.P.I, in 1941. After the split in the party in 1964, he stood with the C.P.L (M). He was arrested many times on account of political activities, Kisan Sabha and other agitations and was imprisoned for more than five years. Shri Chathunni Master was the Editor of 'Chintha', a Malayalam weekly and Chief Editor of 'Desabhimani' a Malayalam daily.

Shri Chathunni Master was a Member of the Kerala Legislative Assembly for three terms and was elected to the Rajya Sabha in April, 1979, and remained its Member till April, 1985.

In the passing away of Shri K. Chathunni Master, we have lost a fearless journalist, marxist ideologue and a peasant leader.

We deeply mourn the passing away of Shri K. Chathunni Master.

I request Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the deceased.

(Hon. Members then stood in silence for one minute.)

THE DEPUTY CHAIRMAN : Secretary-General will convey to the Members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Statutory Pension scheme for Industrial Workers

*61. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:† SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to introduce a statutory pension scheme for industrial workers presendy covered under the Employees' Provident Fund Scheme; if so, by when;

(b) what axe the salient features thereof;

(c) what would be the minimum pension under this scheme; and

(d) the number of public sector undertakings presendy having EDIL scheme (Employees' Deposit Insurance linked Scheme) in the country?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI **RAM** VILAS PASWAN): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Statutory Pension Scheme for Industrial Workers

The Government is examining the possibility of introducing a statutory pension scheme for industrial workers covered under the Employees, Provident Fund Scheme. The proposals worked out in this context on acturial basis are on the following lines:—

(i) Payment of retiring pension

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajubhai A. Parmar.

ranging between Rs. 200/- to Rs. 400/- p.m. subject to payment of contribution of 5% of wages per month.

(ii) Payment of retiring pension ranging between Rs. 200/- to Rs. 825/- p.m. subject to payment of contribution of 8.83% of wages per month.

(iii) Payment of retiring pension ranging between Rs. 200/- to Rs. 1500/- p.m. subject to payment of contribution of 9.50% of wages per month.

All the above proposals are presently being considered by the Central Board of Trustees of the Employees Provident Fund and further action will be taken on receipt of their recommendations.

Almost all the public Sector Undertakings to which the EPF Act applies are covered under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976. A few have, however, been exempted on their taking a Group Insurance policy with the Life Insurance Corporation of India, which provides for comparable benefits.

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR Madam, from the reply given to my question, I see that the Government proposes to give a minimum pension of Rs. 200/- to the industrial workers depending upon their contribution. This is most unfair and unjustified. The Central Government is paying a minimum amount of Rs. 375/- to its employees under the Central Secretanat Service (Pension) Rules. I would like to know from the hon. Minister whether the Government proposes to raise the minimum pension, proposed for the industrial workers, from Rs. 200/- to Rs. 375/- in view of the rising prices?

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति महोदया, यह मामला सी॰ बी॰ टी॰ के अधीन है और इसकी पिछली बैठक अप्रैल में हुई थी तथा अगली बैठक 20 अगस्त को करने वाले हैं। जहां तक दोनों का सवाल है, जो सरकारी कर्मचारियों का भविष्य निधि का पैसा होता है उसमें सिर्फ उनका ही पैसा जमा होता है और उसी में से वह निकाला जाता है। जहां तक इस योजना का सवाल है, इस योजना में भविष्य निधि में पहले ही मालिक और इम्पलायीज दोनों का पैसा मिला करके जमा किया जाता है। कुछ कठिनाइयां हैं जिन पर हम लोग अगली बैठक में विचार करेंगे।

श्री राजूभाई ए॰ परमार :आजकल की महंगाई के जमाने में दो सौ रुपये कुछ नहीं हैं।

श्री राम विलास पासवान : वह तो ठीक है लेकिन मिनिमम 200 रुपये है। अधिकतम आपने देखा है 200 से 400 है, 200 से 825 है, फिर 200 से 1500 रुपये तक है। कठिनाई यह है कि जो सरकारी कर्मचारियों का है उसमें सिर्फ उनका ही पैसा जाता है, इस मामले में इसमें जो पैसा जमा होता है उसमें जितना कर्मचारी का जमा होता है मालिक की तरफ से भी उतना जोड़ा जाता है। इसलिए उसमें और इसमें दोनों में अंतर है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसकी बैठक 20 अगस्त को होगी उसमें इन पर विचार किया जाएगा।

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR : I would like to know whether the Government of India has taken into account such pension schemes for industrial workers in other countries? If so, how does our scheme compare with that of other countries?

श्री राम विलास पासवान : अभी हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन यदि माननीय सदस्य जानकारी चाहेंगे और देश का नाम बतलायेंगे, तो पता लगा कर उनके पास भेज दिया जाएगा ।

SHRI KAPIL VERMA: Madam, the earlier Government appointed an Experts Group for recommending pension for working journalists and noiv-working journalists. This report has been pending for a long time. I, have been speaking to the Minister concerned about it and have raised the issue in this House also. I want to know, what are the main recommendations? Has the Government taken any decision? If not, what are the reasons for delay? Is the Government going to amend the Provident Fund Act to implement this scheme? Secondly, how much money will it cost and how is the Government going to fund this scheme?

श्री राम विलास पासवान : महोदया, मई, 1988

में एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। मई, 1989 में, हालांकि तीन महीने के बाद रिपोर्ट देनी थी, लेकिन एक साल उसमें लगा, मई,1989 में उसने रिपोर्ट दी है और जो हमने जवाब दिया है, उसी की रिपोर्ट के आधार पर है और आपको मालूम है कि तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने 29-2-1988 के सदन में संकेत दिया था, और जहां तक विधेयक का मामला है, कमेटी की बैठक मैंने कहा कि 20 तारीख को होने वाली है और उसके बाद जितनी जल्दी विचार हो जाएगा, उतनी ही जल्दी—आप जानते हैं कि मेरा काम तो कोई रुकता है नहीं, तो जितना जल्दी हो सकेगा, हम प्रयास करेंगे, विधेयक पार्लियामेंट में ले जायेंगे।

श्री कपिल वर्मा : जर्नलिस्ट्स का अलग से होगा या सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्ज़ के साथ होगा?

श्री राम विलास पासवान : नहीं, यह तो सारी की सारी योजनाएं एक साथ चल रही हैं।

इसलिए मैंने कहा कि उस पर हम विचार करेंगे, लेकिन पृथक से हमने मंत्रालय में विचार करके एक तीसरी योजना भी विकल्पित की है।

इसका मतलब है कि मंत्रालय सभी के ऊपर विचार कर रहा है।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN : Madam, I would like the hon Minister to confirm or deny my statement that 90 per cent of industrial work force is still working outside the organised sector. What are the Government plans in regard to this industrial work force? Does the Government have any plans to think of this large sector which is contributing to the 80 per cent of industrial production of our country today?

श्री राम विलास पासवान : नहीं, अभी उसका जवाब तो हां या नहीं में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं।

जैसा कि मैंने कहा कि अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए हम दो विधेयक पर विचार कर रहे हैं, जिसमें एक जो एग्रीकल्चरल लेबरर्ज़ के संबंध में सेंट्रल लेजिस्लेशन का मामला है, फिर कंस्ट्रक्शन लेबरर्ज़ के संबंध में हम विधेयक लाने के ऊपर विचार कर रहे हैं और इस संबंध में भी जो पहले 15 साल का समय था, कि कोई 15 साल तक काम करेगा, तभी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा, इस शर्त को हम लोगों ने खत्म करने का काम किया है ।

इसलिए आपकी चिन्ता जायज़ है कि जो अनआर्गेनाईज्ड सैक्टर में लगे हुए श्रमिक या मजदूर हैं, जितना उनके हित पर विचार किया जाना चाहिए था, या जो लाभ उनको मिलना चाहिए था, वह उन्हें नहीं मिल पाया है। उसकी दिशा में हम कदम उठा रहे हैं ।

श्री सन्तोष बागड़ोदिया : महोदया, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि यह जो परसेंटेज उसमें दिये हैं, जैसे-जैसे नौकरी बढ़ रही है, वैसे-वैसे परसेंटेज भी इन्क्रीज़ होता जा रहा है।

मेरी समझ में तो जैसे-जैसे नौकरी बढ़े, परसेंटेज कम होना चाहिए या सेम ही परसेंटेज रहे इसमें क्या लाजिक है, मैं जरा आपसे समझ लूं।

दूसरी बात यह है कि यह कौन देगा? इम्पलायर ही देगा, स्वाभाविक है। तो उतना नौकरी बढ़ जाएगा। अगर ऐसी बात है, तो आप क्लैरिफाई करें कि दोनों इम्पलायर और इम्पलायी या खाली इम्पलायर देंगे।

सब से बड़ी बात यह है कि प्राविडेंट फंड बरसों से लगा हुआ है, लेकिन आज भी ठीक से इसको माना नहीं जाता है, बहुत सी इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियलिस्ट इम्पलायर्ज़ हैं, जोकि प्राविडेंट रूल्ज़ के हिसाब से रुपया जमा नहीं कर पाते और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है।

इसके लिए आप इसको इंप्लिमेंट कैसे करेंगे मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री राम विलास पासवान : महोदया, जो पहला सवाल है, उसके संबंध में मैंने कहा कि जो अगली 20 तारीख की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर हम विचार करेंगे।

जहां तक प्रोविडेंट फंड में जो पैसे का सवाल है और उसके क्रियान्यवन का सवाल है, उसके लिए मैंने बताया कि हमने एक टास्क फोर्स अपना बना लिया है और वह कड़ी कार्यवाही कर रहा है और हमको खुशी है कि उसमें काफी प्रगति हो रही है और मैंने कहा कि यदि किसी माननीय सदस्य के पास इस तरह की सूचना हो, जहां पर कोई अनियमितताएं हो रही हैं या धांधली हो रही है, आप हमको तुरंत सूचित करें। तीन दिन के अंदर कार्यवाही करके हम आपको रिपोर्ट दे देंगे।

श्री सन्तोष बागड़ोदिया : कौन देगा यह ? एक तो यह बात, और जूट इंडस्ट्री में में तो खुल कर हो रही है। सारे का सारा हिंदुस्तान जानता है।

श्री राम विलास पासवान : वही हमने कहा कि हो रहा है उसे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। अनियमितताओं और करप्शन का जहां तक सवाल है अछूता है। लेकिन मैंने आप से कहा है कि इस संबंध में हमने काफी सतर्कता बरती है। अभी तक हमारे पास कोई स्पेशल फोर्स कार्रवाई करने के लिए नहीं थी। अब हमने उसका गठन कर लिया है उससे काफी प्रगति हुई है। मैंने आपसे कहा कि हम अपने स्तर पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन माननीय सदस्यों के मालिज में यदि कोई स्पेसिफिक मामला है तो आप हम को दें, न केवल हम उसमें सुधार करेंगे बल्कि यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जायेगा या जिसके खिलाफ मामला है उसके प्रति नरमाई नहीं बरती जायेगी।

डा० अबरार अहमद खान : उपसभापति महोदया, यह पेंशन देने की बात तब प्रारम्भ होती है जब प्रोविडेंट फंड उस कर्मचारी का जमा हो। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे हैं जहां पर ऐसा होता है। खासतौर से मैं गरीब तबके की तरफ ध्यान दिलाऊंगा जो बीड़ी उद्योग में काम करते हैं। बीड़ी उद्योग के अन्दर बहुत ही गरीब लोग बीड़ी बनाने का काम करते हैं, महिलाएं काम करती हैं। राजस्थान की मुझे विशेष जानकारी है। अधिकांश बीड़ी उद्योग चलाने वाले जो मालिक हैं वे उन मजदूरों का प्रोविडेंट फंड जमा ही नहीं कराते हैं और न ही उनकी डायरी मैन्टेन करते हैं। ऐसे श्रमिकों के लिए क्या व्यवस्था है यह मैं माननीय श्रम मंत्री से जानना चाहता हूं। जिनके प्रोविडेंट फंड का रिकार्ड ये उद्योगपति नहीं रखते और न डायरी मैन्टेन करते हैं इस कारण उन कर्मचारियों को, उन मजदूरों को पता ही नहीं लगता कि उनका पैसा जमा है या नहीं। वे गरीब होते हैं, भुक्तभोगी होते हैं वे अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं। इनके लिए आप क्या कर रहे हैं यह मैं जानना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्योग तो चलते रहते हैं वह बंद नहीं होते लेकिन उत्पादन बंद हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वे मजदूर महीने में तीस दिन उसकी फैक्टरी में हाजिरी तो देने जाते हैं लेकिन 30 दिन का वेतन उनको नहीं मिलता है। प्रोविडेंट फंड भी जमा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तीन-तीन, चार-चार साल उत्पादन बंद रहता है। सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी के बारे में मैं जानता हूं क्योंकि वह मेरे क्षेत्र में है। प्रोविडेंट फंड उनका जमा नहीं हो रहा है, उनको वेतन नहीं मिल रहा है तो ऐसी हालत में कल्याण मंत्री जी का क्या दायित्व बनता है उन मजदूरों के प्रति? क्या वह वेतन दिलायेंगे और पेंशन दिलाना प्रारम्भ करायेंगे?

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति महोदया, अभी हमने निर्णय लिया है कि जो मजदूर दो दिन काम करे या दो महीने काम करे, चाहे वह कांट्रेक्ट लेबर के रूप में काम करे और चाहे डेली वेजेज के रूप में करे, जो मजदूर काम करेगा उनको एम्पलायमेंट कार्ड दिया जायेगा। उस एम्पलायमेंट कार्ड में सारी बातें रहेंगी। अभी तक दिक्कत क्या होती है कि कहीं मजदूर काम कर रहा है उसका किसी को पता नहीं रहता है। इसी के लिए मैंने आपको कहा कि जो लेबर्स के सम्बन्ध में बोर्ड बनाने की बात कही उसके पीछे मंशा हमारी यही है। उसी दिशा में यह एक कार्रवाई है। हमने अपने अधिकारियों को साफतौर से निर्देश दे दिया है कि जहां कहीं भी मजदूर काम कर रहे हैं वहां वे छापामारी का काम करे और देखें कि मजदूरों को एम्पलायमेंट कार्ड मिला हुआ है या नहीं। यदि नहीं मिला हुआ है तो तत्काल उसी जगह पर मालिक के खिलाफ या मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें । एम्पलायमेंट कार्ड मिला हुआ है तो जैसा मैंने पहले कहा कि 15 साल तक यदि कोई मजदूर काम करेगा तो उसको एम्पलायमेंट कार्ड मिलेगा। जो 15 साल तक काम करेगा वही इसका हकदार होगा। अब हमने कर दिया है। कि जो मजदूर चार दिन भी काम करेगा, पांच दिन भी काम करेगा तो जितना उसका पैसा है उसमें मालिक का पैसा भी जोड़ा जायेगा, इसमें समय की सीमा को हमने खत्म कर दिया है, उनको एम्पलायमेंट कार्ड दिया जायेगा। इससे आपकी जो आशंका है वह खत्म हो जायेगी ।

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: Our Party, the DMK, and the Tamil Nadu Government arc committed to introducing a statutory pension scheme for the workers who arc working in several Transport Corporations which arc public sector undertakings. They have already an agreement with the workers to introduce such a scheme, for which some legislation or some amendments arc to be brought in the Pension Act and also the Provident Fund Act. They arc seeking the Central Government's clearance for

those amendments. I would like to know whether the Government of India have got any representation from the Government of Tamil Nadu for such amendments and legislation; and if so, whether the Government is considering introduction of such legislation before the end of this Session.

श्री राम विलास पासवान : मैं ने कहा कि इस पेंशन संबंधी कानून पर सरकार विचार कर रही है और जितनी जल्दी हो सकेगी वह पार्लियामेंट में लाएगी। जहां तक सरकार का मामला है, निश्चित रूप से यह हमारी नॉलेज में नहीं है। हम पता लगाएंगे और निश्चित रूप से देखेंगे कि तमिलनाडु की सरकार ने क्या रिकमंडेशंस की है और क्या सुझाव दिया है।

SHRI S. MADHAVAN : Madam, is it a fact that the State Governments and State Corporation have to get the permission of the Government of India to introduce this pension scheme? Even though the Corporations want to give pension from their own funds, the Government of India is refusing. As mentioned earlier, the AIADMK Government had sent the proposal, the DMK Government has reiterated it, but it is still pending with the Government of India. I want to know whether the Minister will consider it.

श्री राम विलास पासवान : मैं ने कह दिया कि हम इसे नोट कर रहे हैं और अगली बैठक में हम देखेंगे कि क्या उनका सुझाव है और क्या उस में किया जा सकता है।

Review of cases of victimised Railwayman

•62. SHRI SUNIL BASU RAY:† SHRI SUKOMAL SEN:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government propose to reinstate those victimised railway employees in their jobs who were removed/dismissed under Rule 14 (ii) of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules by the previous Government;

(b) if so, whether Government have evolved any time frame in this regard; and

(c) if not, what are the reasons thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Government proposes to review cases ot such railway servants as were removed/ dismissed from 1980-1981 and onwards under Rule 14 (ii) of the Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules for participating in Trade Union agitations.

(b) and (c) The process of review has already been initiated. Since a large number of cases are involved and the process of review is an involved process, a precise date for completion of the process cannot be indicated.

SHRI SUNIL BASU RAY: Madam, the reply is beautifully vague. Since the question is pending before the trade union movement in general and, in particular, of the railwaymen, I think the reply should have been or would have been more precise and comprehensive. Firstly, in reply to (a) it is said that Government proposes and, in (b) and (c) it is said that the process has already been initiated. I do not know which one is correct. But, taking (b) and (c) as correct, may I request the honourable Minister to please intimate us whether any action has been taken during this period, when the process of review has been commenced, what is the strength of the Review Board members—how many people are doing this job—how many cases have been decided till date and whether the Government is desiring to take or is taking action to amend article 311 of the Constitution which is the source of these penal actions? Now, there are more than 1,100 loco running staff and other categories of workers of railways who are under different panel

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sunil Basu Ray.